भारत सरकार
(जनजातीय कार्य मंत्रालय)

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2450

उत्तर देने की तारीख 08.07.2019

महाराष्ट्र के जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र

2450. डॉ॰ भारती प्रवीण पवारः

श्री सदाशिव लोखंडे :

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र के जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त व्यावसायिक केन्द्र स्थापित करने के क्या मानदंड हैं; और

(घ) क्या उक्त निर्धारित मानदंडों का पालन किया जा रहा है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्य मंत्री
(सुश्री रेणुका सिंह सरूता)

(क) से (घ) : जनजातीय कार्य मंत्रालय एक अलग स्कीम चला रहा था जिसके तहत राज्य सरकारों / गैर-सरकारी संगठनों द्वारा व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र (वीटीसी) चलाने के लिए निधियां प्रदान की गई थी। इस स्कीम के तहत जनजातीय युवाओं के साथ-साथ विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) को निशुल्क व्यावसायिक प्रशिक्षण सुविधाओं के लिए प्रति प्रशिक्षु प्रति वर्ष 30000 / - रुपये की दर से 100% अनुदान राशि प्रदान की गई। तथापि, मंत्रालय की स्कीमों के युक्तिसंगत बनाने के एक भाग के रूप में वर्ष 2018-19 से 'जनजातीय उप-योजना को विशेष केंद्रीय सहायता' (टीएसएस को एससीए) तथा 'संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत अनुदान' की स्कीमों के तहत व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों के उपाय को शामिल करने का निर्णय लिया गया है। मंत्रालय में, राज्य से प्राप्त प्रस्तावों के परियोजना मूल्यांकन समिति (पीएसी) मूल्यांकन तथा अनुमोदन के आधार पर उन्हें कौशल विकास/व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों सहित जनजातीय विकास के लिए 'टीएसएस को एससीए' और 'अनुच्छेद 275 (1) अनुदान' के तहत जनजातीय विकास के रूप में 100% अनुदान की सहायता प्रदान की जाती है।

यद्यपि पूर्ववर्ती वीटीसी स्कीम के तहत महाराष्ट्र में जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा ऐसे किसी व्यावसायिक केंद्र के सहायता प्रदान नहीं की गई थी। लेकिन पिछले तीन वर्षों के दौरान जनजातीय उप-योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता (टीएसएस को एससीए) तथा 'संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत अनुदान के अंतर्गत, जनजातीय लोगों के कौशल विकास तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए महाराष्ट्र राज्य सरकार को प्रदान की गई निधियों का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :

वर्ष	**राशि (लाख रूपए में)**
2016-17	1000.00
2017-18	0.00
2018-19	779.74
कुल	**1779.74**

*****